



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125495

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 19508/2026

पवन कुमार पाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अनिल कुमार वर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार वर्मा और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह जमानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 525/2025, बीएनएस की धाराओं 191(3), 115(2), 352, 109(1), 103(1), 190 के तहत, पुलिस स्टेशन बड़गाँव, जिला वाराणसी में सुनवाई चलने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की गुज़ारिश के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं था। घटना तब हुई जब शिकायतकर्ता और एक अन्य घायल व्यक्ति, रामू यादव, घर लौट रहे थे; गलती से उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े आरोपियों में से एक से छू गई। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। हालाँकि, आरोपियों में से एक ने घायल रामू यादव पर गोली चला दी। जांच के दौरान, घायल अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और रामू यादव ने अपने बयानों में आरोप लगाया कि सह-आरोपी संदीप ने रामू यादव और मृतक (समीर) पर गोली चलाई थी।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक और रामू यादव पर गोली चलाने की खास भूमिका सह-आरोपी संदीप की बताई गई है। आवेदक की निशानदेही पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी प्रेमशंकर पटेल को इस न्यायालय की एक बेंच ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16134/2026 में 12.05.2026 के आदेश से पहले ही जमानत दे दी है। इसलिए, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पाने का हकदार है। आखिर में यह कहा गया है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक ने साथ लगे हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज पांच मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है और वह 27.01.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ट्रायल की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को नकार नहीं सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की भूमिका, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सुप्रीम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 6765)** मामले में जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना—मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। इसलिए, यह आवेदन **मंजूर** किया जाता है।

7. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल याचिकाकर्ता - **पवन कुमार पाल** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



i. याचिकाकर्ता मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगी, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी देने से पीछे हट जाए या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. याचिकाकर्ता बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से सुनवाई/जांच में सहयोग करेगी।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद याचिकाकर्ता किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगी।

iv. याचिकाकर्ता अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार माना जाएगा।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले, संबंधित अदालत को आवेदक और जमानत देने वालों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन करना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह प्रति इलाहाबाद हाई न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित वकील द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

11. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली' (बी.ओ.एम.एस.) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक)

संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट

किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका

(आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य

और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए,

इस आदेश की एक प्रति चौकाघाट, वाराणसी जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या

ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।